

15/16

28/5/18

29.05

पत्रांक:-3/यो01-10/2016 (उ0शि0) ..... /  
 झारखण्ड सरकार  
 उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
 (उच्च शिक्षा प्रभाग)

F.O.  
 17-5-18

प्रेषक,

अबु इमरान, (भा0प्र0से0)  
 निदेशक, उच्च शिक्षा  
 उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
 झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
 उच्च शिक्षा निदेशालय,  
 उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
 झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय हेतु राज्य के दो जिलों में पूर्व से स्थापित/निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में बहुद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु कुल राशि रू0 19,48,90,000/- (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 86/बजट दिनांक 23.04.2018 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति सलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय हेतु राज्य के दो जिलों में पूर्व से स्थापित/निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में बहुद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु कुल राशि रू0 19,48,90,000/- (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है-

क्र0	स्थान का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	जिला का नाम	तकनीकी रूप से अनुमोदित राशि	प्रशासनिक रूप से स्वीकृत राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7
4	एल0 बी0 एस0 एम0 महाविद्यालय, जमशेदपुर	कोल्हान वि0वि0, चाईबासा	पूर्वी सिंहभूम	97445000	97445000	30000000
5	सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा	राँची वि0वि0, राँची	सिमडेगा	97445000	97445000	30000000
	कुल -			194890000	194890000	60000000

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य योजना बजट के निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-  
 "मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678)" (स्कीम कोड-1628)

0-987  
 1/18

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव, उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सूरंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत संबंधित कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निवृत्त की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 86/बजट दिनांक 23.04.2018 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(अबु इमरान)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-3/अनु.2-03/2016 (उ0शि0)...../ राँची, दिनांक-...../

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची एवं जिला कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(अबु इमरान)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापक-3/अनु.2-03/2016 (उ0शि0)10/05/18 राँची, दिनांक-10/05/18

प्रतिलिपि- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव/ अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अबु इमरान)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



## आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

साल वित्तिय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु नियुक्तित दशाए राए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 3/Yo.1-10/2016/98/BUDGET

दिनांक - 09-May-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203102B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 102 - विश्वविद्यालयों को सहायता B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अर्न्दान 06 - अर्न्दान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अर्न्दान <b>State Scheme</b>  State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)	20814	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	90,000,000.00  रुपये नौ करोड
2	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अर्न्दान 06 - अर्न्दान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अर्न्दान <b>State Scheme</b>  State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)	20816	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00  रुपये छः करोड

योग:

150,000,000.00

कमिष्क योग:

रुपये पंदह करोड

(ABU IMPAN)

Dr. V. N. Verma  
12/3/19

पत्रांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0)...../

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक :

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु रू0 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा को प्रिमियर संस्थान बनाने के लिए आधारभूत संरचना का विकास हेतु रू0 10,98,70,500.00 (दस करोड़ अनठानवे लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

“मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा।”(विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

Dr. V. N. Verma  
12/3/19

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत्यादेश संख्या 37/बजट दिनांक 01.03.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0)...../ रॉंची, दिनांक-...../  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-02/2019 (उ0शि0)...../ रॉंची, दिनांक-...../ 50/बजट  
प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉंची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉंची विश्वविद्यालय, रॉंची /प्राचार्य, डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

## आवंटन आदेश

## झारखंड सरकार


Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

चात् वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-02/2019/40/BUDGET

दिनांक - 06-Mar

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	98924	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	20,000,000.0 रुपये दो करोड़
	State Scheme : Central Scheme :	GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT(1628)		



योग:

20,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड़

Sri H.K. Verma

15/03/19

पत्रांक-1/यो1-16/2015(उ0शि0).....79 / बजट

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 15/03/2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला स्तरोन्नयन एवं कम्प्यूटर सेन्टर उपकरणों का क्रय हेतु रु0 4,00,00,000/- (चार करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 55/बजट दिनांक 08.03.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभागों एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय आधुनिकीकरण, प्रयोगशाला स्तरोन्नयन एवं कम्प्यूटर सेन्टर उपकरणों का क्रय हेतु रु0 4,00,00,000/- (चार करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B7- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेन्टर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई.सी.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796B70678) (स्कीम कोड-1630)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची, जा साचवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
  6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।
  7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  8. स्वीकृत्यादेश संख्या 55/बजट दिनांक 08.03.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
- अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-1/यो1-16/2015(उ0शि0)...../ रॉची, दिनांक-...../

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

५९७५८

ज्ञापांक-1/यो1-16/2015(उ0शि0)...../ रॉची, दिनांक-15/03/2019/

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची /~~प्राचार्य, डोरण्डा कॉलेज, डोरण्डा~~/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ


चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 1/YO.1-16/2015/79/BUDGET

दिनांक - 15-Mar-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B70678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B7 - पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कम्प्यूटर सेंटर, उद्यमशीलता विकास केन्द्रों की स्थापना तथा आई०सी०टी० इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु सहायता 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान <b>State Scheme</b>	101940	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	40,000,000.00  रुपये चार करोड

State Scheme : GRANT-IN-AID TO UNIVERSITIES FOR LIBRARY, LABORATORY, COMPUTER CENTERS,  
Central Scheme : ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT CENTRE & ICT INFRASTRUCTURE(1630)



योग:

40,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये चार करोड

  
(NIMESH PRASAD)

F.O.  
384  
24.05-19

Sri U. K. Vinna

22/5/19

पत्रांक-3/यो० 1-19/2017(उ०शि०) 105/अ०२

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

राजेश कुमार शर्मा,  
सचिव,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 25/03/2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत पी०पी० के० कॉलेज, बुण्डु के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू० 9,91,85,000/- (नौ करोड़ एकानवे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 103/बजट दिनांक 25.03.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत पी०पी० के० कॉलेज, बुण्डु के आधारभूत संरचना के विकास हेतु रू० 9,91,85,000/- (नौ करोड़ एकानवे लाख पचासी हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू० 3,00,00,000/- (तीन करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

“मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों क आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06 अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा।”  
(विपत्र कोड-215220203796B50678) (स्कीम कोड- 1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी० एल० खाता संख्या- 8448 में जमा करायेंगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी० एल० खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी की जायेगी।

R-67  
15/5

RL  
10/5/19

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 103/बजट दिनांक 25.03.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,  
25/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो० 1-19/2017(उ०शि०) 103/बजट राँची, दिनांक-25/03/2019

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-3/यो० 1-19/2017(उ०शि०) 103/बजट राँची, दिनांक-25/03/2019

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/3/19

(राजेश कुमार शर्मा)  
सरकार के सचिव।

(संजीव कु० ठाकुर)  
सहायक प्र० पदाधिकारी

(अजय कु० सिंह)  
अवर सचिव

(दिगेश्वर तिवारी)  
स० निदेशक

**आवंटन आदेश**

**झारखंड सरकार**


Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-19/2017/105/BUDGET

दिनांक - 25-Mar-2

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूर्वी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान <b>State Scheme</b>  State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)	105090	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	30,000,000.00  रुपये तीन करोड



योग:

30,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड

*R*  
25/3/18  
(RAJESH KUMAR SHARMA)

F.O.  
3111  
29.03.19

Sri U.K. Verma  
26/3/19

पत्रांक-3/यो.1-13/2016 (उ0शि0)...../

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

C.E.D.E./F.O.

26/3/19

राँची, दिनांक :

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, राँची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रू0 3,18,98,800/- (तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 43/बजट दिनांक 07.03.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत मारवाड़ी कॉलेज, राँची के Boys Section में पुस्तकालय भवन के उपर नये भवन के निर्माण हेतु राशि रू0 3,18,98,800/- (तीन करोड़ अठारह लाख अनठानवे हजार आठ सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रू0 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-

“मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान” के अन्तर्गत होगा।  
(विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कुल सचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेंगे।

866

RC  
18/3/19

- 2 -

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 43/बजट दिनांक 07.03.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-13/2016 (उ0शि0)...../राँची, दिनांक-...../

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो.1-13/2016 (उ0शि0)...../राँची, दिनांक- 09.03.2019

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

**आवंटन आदेश**

**झारखंड सरकार**

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ

में 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

3/YO.1-13/2016/62/BUDGET


दिनांक - 09-Mar-2

विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
S 21 220203796B50678	100361	DRNEDN046	20,000,000.00
2202 - सामान्य शिक्षा			
03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा		SRI BHAIYA RAJNISH	रुपये दो करोड
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		RANJAN	
B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु महायता अनुदान		UNDER	
06 - अनुदान		SECT.HIGHER	
78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान		EDU.DIR.JHA.	



**State Scheme**

State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE  
Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)



20,000,000.00

रुपये दो करोड

F.O.  
383  
24.05.19

Sri U.K. Verma

22/5/19

पत्रांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1) ..... 89 / बजट

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

ee-de/po-

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

19/5/19

विषय:-

रॉची, दिनांक : 18/03/2019  
वित्तीय वर्ष 2018-19 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत के0 ओ0 कॉलेज, गुमला में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 29(A)/बजट दिनांक 22.02.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रॉची विश्वविद्यालय, रॉची अंतर्गत के0 ओ0 कॉलेज, गुमला में निर्माणाधीन बहुद्देशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु रू0 9,74,45,000/- (नौ करोड़ चौहत्तर लाख पैंतालीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रू0 6,00,00,000/- (छः करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा। (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या-8448 में जमा करायेगे।

4. रॉची विश्वविद्यालय, रॉची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत रॉची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

0-625/19



5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
  6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।
  7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
  8. स्वीकृत्यादेश संख्या 29(A)/बजट दिनांक 22.02.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।
- अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,  
ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1) ..... / राँची, दिनांक-..... /  
प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/कोषागार  
पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)


89 964

निदेशक, उच्च शिक्षा।


ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0) (खण्ड-1)..... / राँची, दिनांक-18/03/2019  
प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन  
निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची  
विश्वविद्यालय, राँची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)


निदेशक, उच्च शिक्षा।

  
(प्रधानीय क० त्वाकर)

सहायक प्र0 पदाधिकारी

  
(यानग क० चिंल)

अवर साचव

  
(दिनेश प्रसाद)

स0 निदेशक

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ


चाहू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-10/2016/89/BUDGET

दिनांक - 18-Mar-

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूर्वी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान <b>State Scheme</b>	102696	DRNEDN046  SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	60,000,000.00  रुपये छः करोड

State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE  
Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)



योग:

60,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छः करोड

(DINESH PRASAD)

F.O.  
385  
24.05.19

Sri U.K. Verma

24/5/19

पत्रांक-3/यो01-09/2016(उ0शि0).....95 / बजट

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 18/03/2019

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत बी0 एन0 जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए रु0 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 81/बजट दिनांक 15.03.2019 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राँची विश्वविद्यालय, राँची अन्तर्गत बी0 एन0 जालान कॉलेज, सिसई के परिसर का विकास एवं स्तरोन्नयन के लिए रु0 15,27,71,100/- (पन्द्रह करोड़ सताईस लाख इकहत्तर हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध द्वितीय किस्त के रूप में रु0 10,00,00,000/- (दस करोड़ रूपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान की जाती है।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य स्कीम बजट के निम्नांकित शीर्ष :-

"मुख्य शीर्ष -2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06- अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान" के अन्तर्गत होगा।" (विपत्र कोड-21S220203796B50678) (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड राँची द्वारा जो सचिवालय काषागार, डोरण्डा, राँची से राशि को निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

4. राँची विश्वविद्यालय, राँची के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत राँची कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करा दी जायेगी।

26

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. स्वीकृत्यादेश संख्या 81/बजट दिनांक 15.03.2019 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो०1-09/2016(उ०शि०) 9507/रॉची, दिनांक-18/03/19/

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो०1-09/2016(उ०शि०) 9507/रॉची, दिनांक-18/03/19/

प्रतिलिपि:- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रॉची/निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Higher, Technical Education and Skill Development Department (Higher Educ


चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/YO.1-09/2016/95/BUDGET

दिनांक - 18-Mar-

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 21 220203796B50678 2202 - सामान्य शिक्षा 03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना B5 - विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु महायता अनुदान 06 - अनुदान 78 - पूंजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान State Scheme	103096	DRNEDN046 SRI BHAIYA RAJNISH RANJAN UNDER SECT.HIGHER EDU.DIR.JHA.	100,000,000.00 रुपये दस करोड

State Scheme : GRANT IN AID TO UNIVERSITIES AND EXISTING COLLEGE FOR INFRASTRUCTURE  
Central Scheme : DEVELOPMENT(1628)



योग:

100,000,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दस करोड

Sm D-10.Vemf  
31/11/15

पत्रांक:-3/यो01-10/2016 (उ0शि0) 07 / 10/16

झारखण्ड सरकार  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
(उच्च शिक्षा प्रभाग)

प्रेषक,

दिनेश प्रसाद,  
निदेशक, उच्च शिक्षा,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
उच्च शिक्षा निदेशालय,  
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,  
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक : 11-01-15

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय हेतु राज्य के पाँच जिलों में पूर्व से स्थापित/निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में 1500 छात्र-छात्राओं की क्षमता वाले बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु कुल राशि रु0 48,72,25,000/- (अड़तालीस करोड़ बहत्तर लाख पचीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि स्वीकृत्यादेश संख्या 289/बजट दिनांक 28.12.2018 एवं ऑनलाईन आवंटनादेश (छाया प्रति संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालय हेतु राज्य के पाँच जिलों में पूर्व से स्थापित/निर्माणाधीन अंगीभूत महाविद्यालयों में 1500 छात्र-छात्राओं की क्षमता वाले बहुदेशीय परीक्षा भवन के निर्माण हेतु कुल राशि रु0 48,72,25,000/- (अड़तालीस करोड़ बहत्तर लाख पचीस हजार) रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध रु0 15,00,00,000/- (पन्द्रह करोड़ रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन निम्नवत् प्रदान की जाती है-

क्र 0	विश्वविद्यालय का नाम	स्थान का नाम	जिला का नाम	तकनीकी रूप से अनुमोदित राशि	प्रशासनिक रूप से स्वीकृत राशि	वर्ष 18-19 में विमुक्त की जाने वाली राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राँची विश्वविद्यालय, राँची	बिरसा कॉलेज, खूँटी	खूँटी	97445000	97445000	30000000	67445000
2		बी0 एस0 कॉलेज, लोहरदगा	लोहरदगा	97445000	97445000	30000000	67445000
3		माडल कॉलेज, राजमहल, साहेबगंज	साहेबगंज	97445000	97445000	30000000	67445000
4	सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	के0 के0 एम0 कॉलेज, पाकुड़	पाकुड़	97445000	97445000	30000000	67445000
5		जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा	जामताड़ा	97445000	97445000	30000000	67445000
		कुल -		487225000	487225000	150000000	337225000

R-130  
31/11/15

2. उपर्युक्त राशि का विकलन विज्ञेय वर्ष 2018-19 की राज्य योजना बजट निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-  
"मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5-विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678)" (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगे।

4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 289/बजट दिनांक 28.12.2018 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0)...../ राँची, दिनांक-...../

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0)...../ राँची, दिनांक-11/01/19/

प्रतिलिपि- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / कुलसचिव, सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

2. उपर्युक्त राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2018-19 की राज्य योजना बजट के निम्नांकित शीर्ष के अन्तर्गत होगा:-  
"मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, B5- विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना का विकास हेतु सहायता अनुदान, 06-अनुदान, 78-पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन हेतु अनुदान (विपत्र कोड-21S220203796B50678)" (स्कीम कोड-1628)

3. स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे, जो सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से राशि की निकासी कर Book Transfer द्वारा अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव को राशि उपलब्ध करायेगे एवं कुल सचिव उक्त बैंक ड्राफ्ट को चालान के माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए संधारित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 में जमा करायेगें।

4. संबंधित विश्वविद्यालय के कुल सचिव द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता-2016 के नियम-339-344 के तहत कोषागार में संचालित पी0 एल0 खाता संख्या- 8448 से राशि की निकासी कर एक सप्ताह के अन्दर झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को चेक/बैंक ड्राफ्ट से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. व्यय उपरान्त स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार झारखण्ड एवं विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

6. महालेखाकार का कार्यालय, अंकेक्षण/वित्त (अंकेक्षण) विभाग को विमुक्त एवं निकासी की गई राशि का अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. स्वीकृत्यादेश संख्या 289/बजट दिनांक 28.12.2018 में निहित शर्तों एवं निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0)...../ राँची, दिनांक-...../  
प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक-3/यो01-10/2016 (उ0शि0)...../ राँची, दिनांक-11/01/19/  
प्रतिलिपि- विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/ निदेशक, उच्च शिक्षा के प्रधान आप्त सचिव/ कुलसचिव, राँची विश्वविद्यालय, राँची / कुलसचिव, सिदों कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/ लेखा शाखा, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दिनेश प्रसाद)

निदेशक, उच्च शिक्षा।